International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी: लोकतांत्रिक समावेशीकरण का पथ

डॉ. राजकुमार गोयल

सह आचार्य-राजनीति विज्ञान, सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

शोध सारांश:

भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र की प्रगति एवं विकास में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में ग्रामीण महिलाओं की न केवल महत्वपूर्ण भूमिका है अपितु वे स्थायी विकास के लिए आवश्यक रूपांतरकारी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक बदलावों को अंजाम देने में नेतृत्वकारी की भूमिका में उभर कर आई हैं। संपूर्ण भारत में खेती-बाड़ी के कामों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को देखते हुए कृषि क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण न सिर्फ़ व्यक्तिगत, पारिवारिक और ग्रामीण समुदायों की खुशहाली के लिए जरूरी है बल्कि उससे कहीं अधिक व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक उत्पादकता के लिए, वर्तमान समय की आर्थिक आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: कृषि क्षेत्र, महिला सहभागिता, किसान आंदोलन, महिला नेतृत्व, सशक्तिकरण, समावेशी लोकतंत्र।

प्रस्तावना:

कृषि क्षेत्र में महिलाओं को मुख्य रूप से श्रमिक अथवा मजदूर का दर्जा ही प्राप्त है, कृषक का नहीं। बाजार की परिभाषा एवं अवधारणा के हिसाब से किसान होने की पहचान इस बात से निर्धारित होती है कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, इस बात से नहीं कि उसमें श्रम किसका और कितना लग रहा है। इसे हमारे समाज की विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत में महिलाओं को भूमि का मालिकाना हक बहुत कम है जो न के बराबर ही कहा जाएगा। इन सबके अलावा यदि कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान तथा बदली हुई सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उनकी भूमिका व महत्व को देखते हुए महिला किसानों के प्रोत्साहन की बात की जाए तो देश मे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं, नीतियां व कार्यक्रम हैं। लेकिन उन सबकी पहुंच महिलाओं तक या तो कम है या फिर उनको क्रियान्वित करने वाला तंत्र संवेदनशील नहीं है। यही कारण है कि देश की महिला आबादी कृषि क्षेत्र में हाशिए पर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमेशा से देश के विकास में सार्थक भूमिका का निर्वहन करता रहा है। यह सही है कि अन्य क्षेत्रों की प्रगति के साथ-साथ देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का सापेक्षिक अंश कम हुआ है लेकिन देश की लगभग आधी श्रमशक्तिअब भी कृषि क्षेत्र में ही संलग्न है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के द्वितीय अनुशंसित अनुमानों के अनुसार 2011-12 के मूल्यों पर 2016-17 के सकल संवर्द्धित मूल्य (जीवीए) में कृषि तथा पशुपालन, वानिकी और मछली पालन जैसे संबंधित क्षेत्रों का हिस्सा

17.3 प्रतिशत रहा। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) के 2016-17 के लिए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार खाद्यान्न के मामले में किसी समय में मुख्यतः आयात पर निर्भर भारत अब लगातार 27.568 करोड़ टन खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहा है। भारत गेहूं, धान, दलहन, गन्ना और कपास जैसी अनेक फसलों के उच्चतम उत्पादक राष्ट्रों में शामिल है। यह दूध का सबसे बड़ा तथा फलों और सब्जियों का दूसरे नंबर का उत्पादक है। वर्ष 2013 में विश्व भर के दलहन के 25 प्रतिशत, धान के 22 प्रतिशत और गेहूं के 13 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन भारत में हुआ। विश्व के कपास उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा भारत का रहा। इसके अलावा, भारत पिछले कई वर्षों से कपास का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है।

मुख्य आलेख:

भारतीय कृषि क्षेत्र और महिलाएं:

देश की कुल आबादी में आधा हिस्सा महिलाओं का है, इसके उपरांत भी वे अपने मूलभूत अधिकारों से भी वंचित हैं; विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। यदि अधिकारों के इतर भी देखा जाए तो जिन क्षेत्रों में वे पुरुषों के समकक्ष अथवा बराबरी पर हैं, वहां भी उनकी गिनती पुरुषों की अपेक्षा कमतर ही आंकी जाती रही है। इन्हीं में से एक कृषि क्षेत्र है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, महिलाओं को असमानताओं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैजो काम के अवसरों तक उनकी पहुँच और उनकी उत्पादकता में सुधार के प्रयासों में बाधा डालती हैं। कृषि क्षेत्र में काम करने वाली लगभग 68 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं अत्यधिक गरीबी में हैं। आमतौर से ग्रामीण महिलाओं कीएक साथ एक से अधिक आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने की प्रवृत्ति होती है तथाआय सृजन के वैकल्पिक साधनों के अभाव में अनौपचारिक व असुरक्षित कार्य तक करना उनकी बाध्यता बन गई है।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 32 प्रतिशत है, जबकि पहाड़ी राज्यों एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा केरल आदि में महिलाओं का योगदान कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पुरुषों से भी अधिक है। भारत देश के 48 प्रतिशत कृषि से संबंधित रोजगार में महिलाएं हैं, वहीं लगभग 7.5 करोड़ महिलाएं दुग्ध उत्पादन तथा पशुधन व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में सार्थक भूमिका निभा रही हैं। जब भी कृषि क्षेत्र और महिलाओं के उत्थान की बात आती है, तो बागवानी की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बागवानी कृषि गहन श्रमसाध्य क्षेत्र है और इस कारण ये महिला रोजगार के अवसरों को बढ़ाते हैं। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल घरेलू उपभोग के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि ये विभिन्न उत्पादों जैसे अचार, संसाधित सॉस, जैम, जेली स्क्वैश, आदि के लिए भी जरूरी हैं। वास्तव में, देश के कई राज्यों जैसे- पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के लिए बागवानी एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में उभर कर आया है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 28.2 लाख टन फल और 66 लाख टन सब्जियों के उत्पादन के साथ भारत विश्व मे फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा

उत्पादक है। परंतु कृषि क्षेत्र में महिला सहभागिता का एक पहलू यह भी है कि अधिकतर घरेलू काम जैसे ईंधन, पीने का पानी,पशुओं के लिए चारा, परिवार के लिए लघु वनोपजसहित प्रत्येक काम में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका है, किंतु उनकी पहचान श्रमिक अथवा पुरुष के एक सहायक के तौर पर ही है। कुछ प्रगतिशील परिवारों को छोड़कर बात करें तो सामान्य परिवारों में वे कभी घर की मालिक भी नहीं बन पाती हैं जिसकी वजह से 65 प्रतिशत कृषि कार्य का भार अपने कंधों पर उठाने वाली महिलाएं कृषि संबंधी निर्णय, नियंत्रण के साथ-साथ किसानों को मिलने वाली समस्त सुविधाओं से वंचित रह जाती है और इस सबके बावजूद उन्हें किसान का दर्जा नहीं मिलता है।[2]

वर्ष 2011 में किसान स्वामित्व कानून बन जाने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र की अधिकांश महिलाएं असमानता, भेदभाव एवं आर्थिक व शारीरिक शोषण से मुक्त नहीं हो सकी हैं। कृषि जनगणना (2010-11) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में केवल 12.78 प्रतिशत कृषि जोत ही महिलाओं के नाम पर हैं इसी वजह से कृषि क्षेत्र में उनकी भूमिका निर्णायक नहीं है। कृषि क्षेत्र में महिला श्रम के व्यापक योगदान के बाद भी उन्हें किसान नहीं माना जाता है। कृषि भूमि पर मालिकाना हक का मामला सिर्फ एक प्रशासनिक पहलू मात्र नहीं है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ हैं। इस एक अधिकार से व्यक्ति की पहचान, उसकी निर्णय क्षमता, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास तथा उसके अधिकारजुड़े हुए हैं। गंभीर आर्थिक संकट और आपदा की स्थिति में अपनी पैतृक भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में भी वे असमर्थ होती है। महिलाओं के पास जमीन पर अधिकार न होने से नि: संदेह उनका सर्वांगीण विकास और सशक्तीकरण प्रभावित होता है। इसलिए जरूरी है कि पैतृक जोत भूमि में पत्नी का नाम भी पति के साथ दर्ज हो, ऐसा कानून में प्रावधान किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे समझने की आवश्यकता है कि पुरुषों के पलायन के कारण कृषि कार्य पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के हाथ में चला गया है, इसके बावजूद महिलाएं कृषक नहीं हैं, क्योंकि उनके पास कृषि भूमि के मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है अर्थात वह खेत की वास्तविक मालिक नहीं हैं।[3]

महिला सशक्तिकरण के लिए वैसे तो वैश्विक स्तर पर भी तमाम प्रयास किए गए हैं किंतु इसका समग्र रूप में अब तक लाभ नहीं लिया जा सका है। अब आधुनिक समय में यदि इस तरह की पहल की जाती है जिसमें इन समस्याओं से मुक्ति का रास्ता निकलता है तो इसे सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने की चुनौती सामने आ सकती है। महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी यही हाल है। किंतु इसके विपरीत सामाजिक रुझान भी यह है कि लड़कियों के प्रति तमाम अंकुश और शोषण के बावजूद आज महिलाओं के बीच अपने पैरों पर खड़े होने की जिद भी समाज में देखने को मिलती है। वास्तविक भारत यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो तस्वीर है उसे बदलने की भी जरुरत है। वैसे महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक- सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काफी प्रयास किए गए हैं किंतु जरूरत इस बात की है कि बदलते समय के अनुकूल उनके हक में समुचित कानूनी प्रावधानों को बनाने के साथ-साथ उन्हें ठीक से लागू किया जाए। महिला कृषक को वैधानिक आधार मिले, तब जाकर हम समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही उनकी सामाजिक स्वीकृति भी मिलनी प्रारंभ होगी।[5]

महिलाओं को कृषि क्षेत्र के प्रति जागरूक करने और उन्हें इस क्षेत्र में सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 15 अक्तूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। निर्णय का आधार संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा 15 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना था। 15 अक्तूबर, 2017 को देशभर के समस्त कृषि विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य कृषि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना है।

इसके अलावा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए तथा उनकी जमीन, ऋण और अन्य सुविधाओं तक पहुंच को बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए बनी राष्ट्रीय कृषि नीति में उन्हें घरेलू और कृषि भूमि दोनों पर संयुक्त पट्टे देने जैसे नीतिगत प्रावधान किए हैं। इसके साथ कृषि नीति में उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, फसल, पशुधन पद्धतियों, कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम से जीविका के अवसरों का सृजन करवाए जाने जैसे प्रावधानों का उल्लेख भी शामिल है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए उपाय करना है। साथ ही अपने समग्र जनादेश लक्ष्यों और उद्देश्यों के भीतर यह भी सुनिश्चित करना है कि महिलाएं कृषि उत्पादन और उत्पादकता में प्रभावी ढंग से योगदान दें और उन्हें बेहतर जीवनयापन के अवसर मिलें। इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी क्षमताओं का निर्माण करने और इनपुट प्रौद्योगिकी और अन्य कृषि संसाधनों तक उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए उचित संरचनात्मक, कार्यात्मक और संस्थागत उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए कई प्रकार की पहल की जा चुकी है।

कृषि में महिलाओं की अहम भागीदारी को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान की स्थापना भुवनेश्वर में की। यह संस्थान कृषि में महिलाओं से जुड़े विभिन्न आयामों पर कार्य करता है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से अधिक संस्थानों ने कई तकनीकों का विकास किया ताकि महिलाओं की कठिनाईयों को कम कर उनका सशक्तिकरण हो। देश में 680 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक महिला वस्तु विषेशज्ञ है। वर्ष 2016-17 में महिलाओं से संबंधित 21 तकनीकियों का मूल्यांकन किया गया और 2.56 लाख महिलाओं को कृषि संबंधित क्षेत्रों जैसे सिलाई, उत्पाद बनाना, मूल्य संवर्द्धन, ग्रामीण हस्तकला, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मछली पालन आदि का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत धनराशि का आवंटन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही विभिन्न लाभार्थी उन्मुखी कार्यक्रमों योजनाओं और मिशनों के घटकों का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के लिए महिला समर्थित गतिविधियां शुरू करना तथा महिला स्वयंसहायता समूहों के गठन पर ध्यान केंद्रित करना ताकि क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से उन्हें सूक्ष्म ऋण से जोड़ा जा सके और सूचनाओं तक उनकी पहुंच बढ़ सके एवं साथ ही विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व हो। इसके अलावा कृषि मंत्रालय द्वारा कई महिला समर्थित कदम भी उठाए गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है।[4]

महिला रोजगार और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में झारखंड राज्य ने अच्छा उदाहरण पेश किया है। राज्य सरकार ने लीक से हटकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए एक योजना बनाई है जिसके तहत हर गांव में एक पानी और स्वच्छता समिति शामिल होगी जिसमें अनिवार्य रूप से गांव की एक महिला सदस्य होगी। समिति के उस विशेष सदस्य को 'जल सहिया' (जल मित्र) के रूप में पहचाना जाएगा। उस समिति में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि उक्त महिला सदस्य समिति की कोषाध्यक्ष होगी। अधिकारियों के मुताबिक, यह समिति गांवों में जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इससे निश्चित रूप से सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है और बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं।

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में हुए किसान आंदोलनों में महिला किसानों ने सक्रिय रहकर स्वतंत्र किसान के रूप में अपनी सहभागिता के बल पर देश और विश्व समुदाय के समक्ष उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने में कामयाब हैं। पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच करने के बाद राजधानी दिल्ली की बॉर्डर्स पर हुए पड़ावों के बाद राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन में महिला किसानों की उल्लेखनीय सहभागिता न केवल किसान नेताओं के लिए गौरान्वित कर देने वाला अनुभव था अपितु इस आंदोलन की ओर विश्व समुदाय का ध्यान खींचने वाली बड़ी घटना रही है। आंदोलन में महिला किसान अपनी स्वतंत्र पहचान कायम करके अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखाई दी। किसान आंदोलन के नेताओं ने महिलाओं की महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भागीदारी को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और महिला श्रम को आदर दिया। ध्यान देने की बात यह है कि पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे प्रान्तों, जहां पितृसत्तात्मक सामंती सामाजिक संरचना गहराई से मौजूद है, वहां किसान आंदोलन में महिलाओं का स्वतंत्र किसान के रूप में उभरकर आना वास्तव में एक बड़ी घटना है। इस रूप में किसान आन्दोलन महिला सशक्तिकरण आंदोलन के रूप में भी काम करने वाला साबित हुआ है।

निष्कर्ष:

ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण, महानरेगा में उनकी सुनिश्चित भागीदारी, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता जैसी नई भूमिकाओं ने वास्तव में ग्रामीण महिलाओं के उदास चेहरों पर आत्मनिर्भरता की चमक बिखेरने और आत्मविश्वास से लबरेज़ करने का काम किया है।ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं और जागरुकता कार्यक्रमों ने महिलाओं को समाज के स्वीकृति प्राप्त कामकाजी वर्ग में हिस्सेदार बनाने में सफलता पाई है। अब ग्रामीण समाज में महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभानी शुरू की और समाज में उनकी प्रस्थिति में सकारात्मक रूपांतरण देखा जा सकता है। लेकिन इन बहुत सी सुखद बातों के अलावा कुछ ऐसे भी सामाजिक-आर्थिक पहलू हैं जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के मार्ग में अभी भी बाधक बने हुए है।इस संबंध में विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कृषि में महिलाओं को बराबर का दर्जा मिले तो कृषि कार्यों में महिलाओं की बढ़ती संख्या से उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है और देश में भूख और कुपोषण को भी रोका जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण अजीविका में सुधार होगा, इसका लाभ पुरुष और महिलाओं, दोनों को होगा। वैसे तो अब सरकार की विभिन्न नीतियों जैसे जैविक खेती, स्वरोजगार योजना, भारतीय कौशल विकास योजना,

इत्यादि में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि महिलाओं को अच्छा अवसर तथा सुविधा मिले तो वे देश की कृषि को द्वितीय हरितक्रांति की तरफ ले जाने के साथ देश के विकास का परिदृश्य भी बदल सकती हैं।

संदर्भ सूची:

1. ममता जैतली,'आधी आबादी का संघर्ष', राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2006.
2. गौरव कुमार,'ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के सामाजिक-आर्थिक आयाम', कुरुक्षेत्र, अगस्त 2013, पृ.14.
3. पूर्णिमा जैन, 'जेंडर जस्टिस एंड इंक्लुजन', रावत पब्लिकेशन', जयपुर, 2018.
4. गौरव कुमार, 'कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता', कुरुक्षेत्र, फरवरी 2018, पृ.67-68.
5. कणिका तिवारी. 'महिला सशक्तिकरण का आत्मावलोकन', कुरुक्षेत्र, अगस्त 2013 पृ. 5.
6. https://www.aljazeera.com/news/2021/3/8/thousands-of-indian-women-join-farmers-protests-against-new-laws
7. https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/international-women-s-day-50-000-women-farmers-join-protest-at-singhu-and-tikri-75834
8. कृष्ण चन्द्र चौधरी, 'मनोसमाजिक सशक्तिकरण से ग्रामीण महिलाओं के जीवन-स्तर में सुधार', कुरुक्षेत्र, अक्तूबर 2013, पृ. 58.
9. अमृत पटेल,'कृषि क्षेत्र में महिलाएं, योजना, जून 2012, पृ.11-12.